न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, सीकर

बइजलास:– गोविन्द सिंह भींचर, आरएएस

प्रकरण संख्या:–18 / 2022 / अपील

श्रीमति सुशीला देवी पत्नि महावीर प्रसाद जाति माली निवासी रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये मुख्तयार आम महावीर प्रसाद पुत्र स्व. नानुराम जाति माली निवासी रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत रैवासा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2599 दिनांकित 06.12.2022
सरपंच ग्राम पंचायत रैवासा अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट

उपस्थिति:

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील अपीलान्ट की ओर सें।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय **दिनांक:–30.07.2024**

1. अपील आवेदन में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपील में कृषि भूमियाँ अपीलान्ट्स ने जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 15–05–2019 को महावीर प्रसाद पुत्र स्व. नानुराम उम्र 67 वर्ष जाति माली निवासी रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान से बक्सीस में प्राप्त की गयी जो रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांकित 15–05–2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 233 में पृष्ठ संख्या 168 कम संख्या 201903503100792 पर पंजिबन्द्य किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 688 के पृष्ठ संख्या 108 से 144 पर चस्पा किया गया है। अपीलान्ट्स ने उक्त भूमियाँ जरिये दान पत्र प्राप्त कर दान पत्र के समय ही अपने सम्पूर्ण हक अधिकार सहित कब्जा प्राप्त कर लिया व उक्त दान कर्ता महावीर प्रसाद ने अपना कब्जा हटाकर शून्य कर लिया जो अपिलान्ट्स दान पत्र के समय से अपनी दान पत्र शुदा भूमियों पर काबिज होकर कश्त्व करती चली आ रही हैं, अपीलान्ट्स ने उक्त दान पत्र विधिवत रूप से उप पंजीयक कार्यालय पलसाना में उप पंजीयक अधिकारी के सामने दान कर्ता व अपीलान्ट्स सक्षम गवाहान की उपस्थिति में उपस्थिति होकर करवाया गया हैं जो पूर्णतया विधि के अनुसार है कि अपीलान्ट्स ने अपनी दान पत्र से प्राप्त भूमियों की

खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने हेतु नामांतरण के लिए आवेदन किया तो अपीलान्ट्स का नामांतरण पटवारी पटवार हल्का रेवासा द्वारा मौके पर कब्जे की जाँच कर भरा जाकर नायब तहसीलदार पलसाना द्वारा तस्दीक किया जा चूका हैं लेकिन उसके बाद सरपंच ग्राम पंचायत रैवासा ने अपीलान्ट्स के उक्त नामांतरण को बिना किसी कारण के खारिज कर दिया जिस कारण अपीलान्ट्स द्वारा अपील निम्न आधारों पर निरस्त होने योग्य हैं। (क)– यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त नामान्तरण विधि विरुद्ध जाकर प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत खारिज किया है, जो भरा जाना आवश्यक है। (ख) यह कि ग्राम पचायत रैवासा का वर्तमान सरपंच अपीलांट का पुत्र है व उक्त नामांतरण सरपंच की मौसी के हक में किये गए दान पत्र का नामांतरण भरा जाना था लेकिन आपसी पारिवारिक वाद विवाद के चलते उक्त नामांतरण खारिज किया गया है जो पूर्णतया गलत हैं। (ग) यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत रैवासा ने उक्त नामांतरण को खारिज करने का कोई ठोस कारण नहीं अंकित किया हैं बल्कि बिना किसी कारण के आपसी द्वेषता के चलते उक्त नामांतरण खारिज कर दिया जो पूर्णतया से गलत हैं। (घ) यह कि ग्राम पंचायत रैवासा ने सम्पूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरुद्ध की हैं, जिसमे न तो कब्जे काश्त की जाँच की गयी और न ही दस्तावेज की उक्त भुमियो पर दान पत्र के समय से ही अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त हैं व अपीलान्ट्स बहैसियत मालिक काबिज हैं तथा उक्त दान पत्र पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर तस्दीक करवाया हुआ हैं जो भरा जाना न्यायोचित हैं। (ड) यह कि अपीलान्ट्स के उक्त नामातरण को सरपंच द्वारा पंचायत ने पारिवारिक वाद विवाद के चलते खारिज किया हैं जो कतई गलत है अपीलान्ट्स सरपंच की मौसी होने के कारण आपसी द्वेषता निकालने के लिए खारिज कर दिया जिसका सरपंच ग्राम पंचायत रैवासा को कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं इसलिए उक्त नामातरण अपीलान्ट्स के नाम से तस्दीक किया जाना अतिआवश्यक व न्यायोचित हैं। अपीलांटस अपनी भूमियों के नामांतरण बाबत ग्राम पंचायत रैवासा के कार्यालय में जाकर अपने नामांतरण बाबत जानकारी लेने पर उक्त नामांतरण के खारिज किये जाने की जानकारी हुई तब अपीलान्ट्स ने उक्त विवादित नामान्तरण का नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14/12/2022 को प्राप्त हुई, इसलिए उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। अतः अन्त में यह इस्तदुआ चाही कि नामान्तरण संख्या 2599 दिनांकित 06.12.2022 विरूद्ध ग्राम पंचायत रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को खारिज फरमाया जाकर अपील में वर्णित भूमियों में अपीलान्ट्स के हक में

नामांतरण तस्दीक करवाया जाकर अपीलान्ट्स के नाम से अपनी दान पत्र से प्राप्त भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोड्स संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अपील आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। जिसमें वकील अपीलांट्स ने अपने अपील में प्रस्तुत कथनों को दोहराया व कहा की नामान्तरण संख्या 2599 दिनांकित 06.12.2022 विरूद्ध ग्राम पंचायत रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को खारिज फरमाया जाकर अपील में वर्णित भूमियों में अपीलान्ट्स के हक में नामांतरण तस्दीक करवाया जाकर अपीलान्ट्स के नाम से अपनी दान पत्र से प्राप्त भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. मैने पत्रावली का अवलोकन किया व अपील का भी अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। विधिक प्रावधान का भी अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा यह लिखकर नामांतरण खारिज कर दिया कि नामांतकरण विवादाग्रस्त है। अतः खारिज किया जाता है।

चुकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत तहसीलदार को ही विवादित नामांतरण को निर्णित करने की शक्तियां प्रदत है व चुकि पारिवारिक द्वेषता के आधार पर उक्त नामांतकरण खारिज करने का अपीलांट ने कथन किया है। अतः उपरोक्त के आधार पर धारा 135 (2) के तहत तहसीलदार ही उक्त विवादित नामांतरण को निर्णित कर सकता है। अतः नामांतरण संख्या 2599 दिनांक 06.12.2022 को खारिज किया जाकर तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत विधि व नियमानुसार पुनः नामांतकरण तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ